संख्या-58/2018/2439/22-2-2017-17(622)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-33899/प्रोबेशन-3(एम-14.09.2017) दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी विष्णु पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी ग्राम-सिलावन, थाना-महरौली, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 16.09.2000 को समय लगभग 02.00 बजे दोपहर में वादिनी सुनीता अपने गांव जा रही थी को रास्ते में बुरे इरादे से पकड. लिया और बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को स्पेशल केस संख्या-43/2000 में भा0द0वि0 की धारा-376, 506 3(2)(v) 3(1)(x ii) के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 24.02.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.2017 तक 15 वर्ष 09 माह 05 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 07 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-42 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 16.09.2000 को वादिनी सुनीता अपने गांव जा रही थी को रास्ते में बुरे इरादे से पकड. लिया और बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री रामेश्वर को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विष्णु (बन्दी संख्या-8210) पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी जनपद-ललितपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-58/2018/2439(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कागारार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-58/2018/2439@22-2-2017-17(622)/2017

दिनांक 17 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी विष्णु (बन्दी संख्या-8210) पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी ग्राम-सिलावन, थाना महरौली, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 16.09.2000 को समय लगभग 02.00 बजे दोपहर में वादिनी सुनीता अपने गांव जा रही थी को रास्ते में बुरे इरादे से पकड. लिया और बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को स्पेशल केस संख्या-43/2000 में भा0द0वि0 की धारा-376, 506 3(2)(v) 3(1)(x ii) के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 24.02.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.2017 तक 15 वर्ष 09 माह 05 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 07 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-42 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने दिनांक 16.09.2000 को वादिनी सुनीता अपने गांव जा रही थी को रास्ते में बुरे इरादे से पकड. लिया और बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री रामेश्वर को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।